न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 50/2025

प्रार्थीगण : –

1. केसाराम पुत्र श्री भलाराम,
2. गुमानराम पुत्र श्री मोहनराम
3. चन्दाराम पुत्र श्री मोहनराम
4. जमनादेवी पुत्री श्री मोहनराम
5. पेमाराम पुत्र श्री मोहनराम,
6. बालाराम पुत्र श्री मोहनराम
7. सारीदेवी पुत्र श्री मोहनराम
8. हुकमाराम पुत्र श्री मोहनराम जातियान कुम्हार (प्रजापति), निवासीगण ग्राम रोहिचां कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थीगण : –

1. सोनाराम पुत्र श्री डायाराम,
2. घेवरराम पुत्र श्री चुन्नीलाल,
3. दलाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल,
4. देवाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल,
5. मदनलाल पुत्र श्री चुन्नीलाल, सभी जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण, रोहिचा कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर।
6. तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर ।

———

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रकुमार राठौड व भागीरथ विश्नोई।
2. अप्रार्थीगण 1 से 5 की और से अधिवक्ता श्री दौलतराम प्रजापत।

दिनांक : – 08-4-2026

– : आदेश : –

1. प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि यह है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 263/1 रकबा 3.3832 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 264/1 रकबा 3.5774 हेक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 से 7 की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 263/2 रकबा 3.3832 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 264/2 रकबा 3.5855 हेक्टेयर मौजा ग्राम रोहिचा कलां पटवार हल्का रोहिचा कलां तहसील लूणी में आई हुई है जिसमे खातेदार काश्तकार की हैसियत से लगातार शान्तिपूर्वक प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी संख्या 1 की उक्त भूमि खसरा संख्या 264/1 में से आवागमन हेतु एक पौराणिक (पीढियों के समय से) रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 263/3, 263/4, 264/3 में से होते हुए प्रार्थीगण संख्या 2 से 7 की कृषि भूमि खसरा संख्या 263/2 से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

होकर खसरा संख्या 263/1 मे चलता है, जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है. इस रास्ते को प्रार्थीगण व उसके पूवर्ज बिना रोक–टोक आवागमन हेतु पीढियों से उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन राजस्व रेकर्ड व नक्शे में उक्त रास्ता दर्ज नही है, इसलिए अप्रार्थीगण समय–समय पर उक्त रास्ते को बन्द कर देते है। जबकि पूर्वजों द्वारा यह रास्ता दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी लिखत संलग्न है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा यह रास्ता प्रार्थीगण के लिए नजदीकी व लघुतम रास्ता है। उक्त रास्ते बाबत प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु पूर्णरूप से तैयार है। अप्रार्थीगण की भूमि असिंचित भूमि है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि खसरा संख्या 263/1 व 263/2 में आवागमन हेतु 12 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की भूमि खसरा संख्या– 263/3 व खसरा संख्या 263/4 खसरा संख्या 264/3 में से 12 फुट चौड़ा रास्ते दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता दौलतराम प्रजापत द्वारा वकालतनामा एवं जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर अपने जवाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण ने कथन किया गया प्रार्थीगण द्वारा बताये गये खसरान में आने–जाने हेतु पीढ़ीयों से पौराणिक रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में से नहीं चला आ रहा है। ऐसा कोई भी रास्ता मौके पर आज दिन तक नही था न ही वर्तमान में है। जिस तथाकथित लिखत के आधार पर प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ऐसी कोई लिखत है अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पुर्वजों लिखित नही करवाई है। जो कि फर्जी कुटरचित एवं बनावटी है। फर्जी लिखत के आधार पर उपरेक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। खसरा नंबर 264/2 एवम् 264/1 की भूमि के एक दिशा मे रास्ता मौजूद है जो प्रार्थीगण के लिए निकटतम एवम लघुतम रास्ता है। जिससे प्रार्थीगण रास्ते पर आते जाते है इस कारण खसरा नंबर 264/1 व 264/2 के लिये अप्रार्थीगण की भूमि से कोई रास्ता लिये जाने का प्रार्थीगण को कानूनी अधिकार नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 263/1 एवमृ 263/2 के लिये रास्ते की मांग की है परन्तु उपरोक्त खसरो के लिए पूर्व से ही मोके पर रास्ता खसरा नंबर 264/7 के रूप में एवम आगे खसरा नंबर 263/4, 263/5, 263,/3 व खसरा नंबर 263 के मध्य माठ पर रास्ते के लिये समर्पित भूमि है और मोके पर उपरोक्त रास्ता कायम है। ऐसी स्थिति मे जब मोके पर रास्ता मौजूद है और राजस्व रेकार्ड मे भी अंकन है ऐसी स्थिति मे धारा 251–ए के प्रावधान लागू नहीं होते है। कानूनी रूप से धारा 251–ए मे नवीन रास्ते की मांग के लिये किसी भी वैकल्पिक साधन के अभाव एवम अत्यधीक आवश्यकता होने पर ही धारा 251–ए के प्रावधान लागू होते है परन्तु उपरेक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की भूमि के लिए मौके पर वैकल्पिक साधन एवम् रास्ता मौजूद है और जो चलायमान स्थिति में है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही खसरा नंबर 264/1 व 264/2 के लिये किसी भी रूप में प्रार्थीगण द्वारा वांछित भूमि निकटतम एवम लघुतम नहीं है। इस कारण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

कानूनी रूप से भी प्रार्थीगण धारा 251 ए के तहत नवीन रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है और ऐसे बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाए।

3. उक्त प्रकरण में तहसीलदार लूणी के मार्फत मौका/जांच रिपोर्ट तलब की जो तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 25.09.2025 की रिपोर्ट मय मौका फर्द दिनांक 09.07.2025 प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली में संलग्न की गयी। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के संलग्न पटवारी रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 264/1 व 264/2 से 263/1 व 263/2 को जाने हेतु निकटतम न्यूनतम दूरी का रास्ता मौका फर्द संलग्न नजरी नक्शे में A B C D E में होना बताया जो कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा में से गुजरता है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को आधार बताते हुए निवेदन किया कि उसकी खातेदारी की कृषि भूमि के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं तथा वे खसरा संख्या 263/3, 263/4, 264/3 में से होकर ही रास्ते तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं तथा यहीं एकमात्र लघुत्तम एवं निकटतम मार्ग हैं। नजरी नक्शे में दर्शाया गया है जिसके लिए जो नियमानुसार राशि देने को तैयार हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में बताया कि प्रार्थीगण के लिए खसरा नंबर 264/2 एवम् 264/1 की भूमि के एक दिशा मे प्रार्थीगण के लिए निकटतम एवम लघुतम रास्ता उपलब्ध है। जिससे प्रार्थीगण रास्ते पर आते जाते है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 263/1 एवमृ 263/2 के लिये रास्ते की मांग की है परन्तु उपरोक्त खसरो के लिए पूर्व से ही मोके पर रास्ता खसरा नंबर 264/7 के रूप में एवम आगे खसरा नंबर 263/4, 263/5, 263,/3 व खसरा नंबर 263 के मध्य माठ पर रास्ते क़े लिये समर्पित भूमि है और मौके पर उपरोक्त रास्ता कायम है जिसका अंकन मौका रिपोर्ट दिनांक 09.07.2025 में स्पष्ट अंकन है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए नया रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं है और धारा 251 के तहत केवल सुविधा के लिए नया रास्ता दिया जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को 263/3, 263/4 व 264/3 की भूमि में से मौका फर्द दिनांक 09.07.2025 में नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

5. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हंसमुख कुमार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी